न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – कैलाशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थनापत्र संख्या 273/2013
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीमती सन्तरो धर्मपत्नी श्री शिवभगवान, जाट, दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

.....आवेदिका

बनाम

1. श्रीमती गंगादेवी धर्मपत्नी श्री जगमाल, जाट, धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. भागीरथ,
3. संदीप,
4. रामकरण एवं
5. राजकुमार आत्मजन श्री जगमाल, जाट, धालेवाला,
6. श्रीमती कृष्णादेवी धर्मपत्नी श्री कृष्ण सहारण, जाट, चूनावढ,
7. श्रीमती शकुन्तला धर्मपत्नी श्री जयनारायण, जाट, किशनावाली ढाणी जैतसर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर,
8. श्रीमती सरोज धर्मपत्नी श्री राधेराम, जाट, किशनावाली ढाणी, जैतसर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर,
9. श्रीमती जसोदेवी धर्मपत्नी श्री मोहनलाल, जाट, धोलिया डेर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर,
10. श्रीमती चुनादेवी धर्मपत्नी श्री नत्थूराम, जाट, तलवाड़ा खुर्द तहसील एलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा),
11. मोडूराम आत्मज श्री नत्थूराम, तलवाड़ा खुर्द तहसील एलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा),
12. श्रीमती कविता धर्मपत्नी श्री सुभाष, जाट, कर्मशाना तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा),
13. श्रीमती सुलोचना धर्मपत्नी श्री आशाराम, जाट, कर्मशाना तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा),
14. श्रीमती पूनम धर्मपत्नी श्री मनीराम, बिजारणियां, वार्ड नम्बर 13, चौधरी पब्लिक स्कूल के पास, रावतसर जिला हनुमानगढ.

.....अनावेदकगण

उपस्थित– श्री मोहनलाल माहर (आवेदिका)
श्री मनोहरलाल सहारण (अनाावेदक–1 से 9)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा (अनाावेदक–10 से11)

दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 5 एच.एस. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1 से 25 कुल 25.00 बीघा कृषि भूमि पुर्नवास विभाग, भारत सरकार द्वारा आवेदिका के पिता

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

श्री दुलाराम आत्मज श्री मामराज को आवंटित की गयी. आवेदिका के पिता की मृत्योपरान्त अनावेदकगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुऐ मिसल बन्दोबस्त में अपना नाम दर्ज करवा लिया. मिसल बन्दोबस्त अधिकारी को इस बाबत कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था. जिसे केवल इन्द्राज को यथावत आगे ले जाना होता है. इस प्रकार मिसल बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रारम्भतः शून्य है जिससे अनावेदकगण श्री जगमाल एवं श्री नत्थूराम को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. आवेदिका, श्रीमती पातो, श्रीमती कौशल्या एवं बाधो मृतक दुल्लाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान हैं इसलिये मृतक दुल्लाराम की प्रश्नगत कृषि भूमि में हक व हिस्सा रखती हैं. तदानुसार आवेदिका एवं उसकी सगी बहनें प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाने की अधिकारिणी हैं. अनावेदकगण के पिता ने तथ्यों को छिपाते हुऐ अपने नाम से खातेदारी सनद प्राप्त कर ली है. अनावेदकगण प्रश्नगत कृषि भूमि को ओने पोने मुल्यों में विक्रय कर आवेदिका को उसके पैतृक हक व अधिकारों से वंचित करने में प्रयासरत हैं. इस प्रकार आवेदिका द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि चक 5 एच. एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 100/82 मुरब्बा नम्बर 13 के 6.325 हैक्टर को बंधक विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, खतौनी बन्दोबस्त सम्बत् 2026 से 2035 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदकगण 1 से 11 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 12 से 14 की तलबी हेतु जारी पंजीबद्व नोटिस उपरान्त निश्चित अवधि के पश्चात भी उपस्थित नही आने के परिणामतः आदेश दिनांक 12 मई, 2015 को अनावेदक संख्या 12 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी एवं आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2015 द्वारा अनावेदक संख्या 13 एव 14 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

अनावेदक संख्या 1 से 9 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 30 अक्तूबर, 2014 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अनावेदकगण द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाकर मिसल बन्दोबस्त में नाम दर्ज नहीं करवाया गया बल्कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार नहीं होने के कारण पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं करवाया गया. मात्र दो पुत्रों का ही नाम दर्ज करवया गया है. मिसल बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा सही आदेश पारित किया गया है जो कानूनन व विधिक रूप से सही था. मृतक दुल्लाराम की मृत्यु के समय आवेदिका एवं उसकी बहिनें प्रश्नगत कृषि भूमि मे कोई हक व हिस्सा न हीं रखती थी व न ही आज उनका कोई हक व हिस्सा बनता है. इसलिये आवेदिका अपने हिस्सा की घोषणा एवं विभाजन करवाने की अधिकारिणी नही है. श्री दुल्लाराम की मृत्यु मघर मास सम्बत् 2012 में हुआ था तत्समय प्रचलित कानून जो बीकानेर काश्तकारी अधिनियम प्रभावी थे जिनके अनुसार पिता की सम्पत्ति में

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर